370
14-01-15

1223

Spl. Secy
O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र 14 JAN 2015 बिहार, पटना

सं0 एल0ए0एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14469/2175 दिनांकः– 13.01.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, मसौढी के वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 917/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

OSD(K) 15.1.15

SO-7 15/1/15

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

12/01/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र पंजी 15 JAN 2015 संख्या 406 बिहार, पटना

16/1

35
16/1/15

नगर परिषद मसौढी
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–917/13–14
(अवधि– 2012–13)

1. प्रस्तावना

नगर परिषद् मसौढी के वित्तीय वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 20.05.13 से 01.06.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	मो0 सनाहउल्लाह	01.04.2012 से 08.06.2012
2	श्री सत्येन्द्र कुमार	09.06.2012 से 31.03.2013

(ख) उप–सभापति

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्री पंकज कुमार सिंह	01.04.2012 से 08.06.2012
2	श्री रजनीकान्त कुमार	09.06.2012 से 31.03.2013

(ग) कार्यपालक पदाधिकारी

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति शालिनी कुमारी, बि0प्र0से0	01.04.2012 से 26.12.2012
2	श्री ललन प्रसाद, बि0प्र0से0	27.12.2012 से 31.03.2013

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र– लेखापरीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।

4. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियॉ

क्र.सं.	कंडिका सं0	कंडिका का सार	राशि (₹)
1	13	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	44109
2	9	कम/नहीं जमा	295737
3	14	सुरक्षित जमा राशि के गलत निर्धारण के कारण हानि कटौती नहीं	185000
4	16	वैट की कम कटौती	381900
5	18	स्ट्रीट लाइट के कय मे अनियमितता	208150
6	20	योजनाओं के विलम्ब से कियान्वयन के कारण विलम्ब शुल्क की कटौती	819060

221

5. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय उसके द्वारा किया जाएगा ताकि इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है।

परंतु नगर परिषद् की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण कई प्रकार की अनियमिततताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियॉं, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना तथा समय– समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः परिषद् प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाए।

6. संव्यवहार

नगर परिषद् मसौढी में केंन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोतों से सृजित आय तथा उससे किये गये व्यय की स्थिति निम्न थी–

1. दिनांक 1.4.2012 का प्रारंभिक शेष – 2, 66,62,286.58
2. वर्ष के दौरान प्राप्ति ––– 5,58,88,687.00
3. कुल (1+2) –– 82550973.58
4. वर्ष के दौरान व्यय 3,02,08,800.00
5. दिनांक 31.3.2013 का अंतशेष ... 5,23,42,173.58

31.03.13 को बैंक खाताओं के अन्तशेष की विवरणी

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	अन्तशेष की राशि
1	कोषागार खाता		39162134.93
2	केनरा बैंक	03521010440428	अद्यतन नहीं
3	म बी जी बी	73180100011930	अद्यतन नहीं
4	म बी जी बी	73190100021592	9034339.00
5	इलाहाबाद बैंक	8438	346337.00
6	सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	84	अद्यतन नहीं
7	बैंक ऑफ इंडिया	440610110001120	अद्यतन नहीं
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11421123660	184971.00
9	पंजाब नेशनल बैंक	2734000100142925	255651.00

बैंक पासबुकों के अद्यतन नहीं होने के कारण अंकेक्षण में रोकड़ बही को बैंक पासबुकों से मिलान नहीं किया जा सका। अतः रोकड़ बही को बैंक पासबुक के साथ मिलकर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

जवाब दिया गया कि रोकड़ बही को बैंक पासबुक के साथ मिलान कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जायेगा।

7. रोकड़ बही की त्रुटियाँ

नगर परिषद् मसौढी द्वारा संधारित रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गई–

1. आय एवं व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया,
2. आय पक्ष में प्राप्तियों के विरूद्ध मद नहीं दर्शाया गया एवं किस तरह की प्राप्ति थी तथा किनके द्वारा जमा की गई यह स्पष्ट नहीं किया गया था,
3. रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या नहीं पाया गया
4. निर्गत किये गए चेक के साथ बैंक का नाम और खाता संख्या नहीं पाया गया

ऊपर वर्णित त्रुटियों को दूर करते हुए रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गई। अतः अन्य सभी ऑकड़ों की प्रविष्टि की जॉच एवं इनमें सुधार अपने स्तर से करते हुए अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

8. अनुदान

अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का विहित संधारण नहीं किया गया। इनकी अनुपलब्धता के कारण पूर्व का अव्यवहृत अनुदान की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं वर्ष में प्राप्त एवं इनके विरूद्ध किया गया.व्यय एवं 31.03.13 को शेष राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2012–13 की अवधि में विभिन्न मदों में कुल ₹49312170.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये साथ ही लंबित अनुदानों का उपयोग किया जाए अथवा आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में इन्हें संस्वीकृतिदाता पदाधिकारी को वापस कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखा दी जायेगी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

9. कम/नही जमा ₹295737.00

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निर्गत एच. रसीदों/विविध रसीदों की जॉच में पाया गया कि उक्त रसीदों के द्वारा वसूल की गयी राशि ₹550431 नगर परिषद निधि में जमा नहीं की गयी यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान ₹157771.00 जमा की गयी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

219

क्र. सं.	रसीद सं0/दिनांक	वसूल की गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा	विवरण	अवशेष	वसूलीकर्ता का नाम
1.	5628...5661/16.2. 2013	31171	30000	1171	....	....	1171	श्री कुमार बलवंत यादव टी सी
2.	5674....5688/9.3. 2013	22447	18800	3647	....	....	3647	श्री कुमार बलवंत यादव टी सी
3.	501–567/13.3. 2013 से 23.5. 2013	70963	.....	70963	45000	खाता सं0 142925 दिनांक 1.6.2013	25963	श्री रवि रंजन टी सी
4.	2182-2189/	688	....	688	688	ऍम आर सं0 1685/27.5. 2013	....	श्री रवि रंजन टी सी
5.	2501-2525/	350	....	350	350	ऍम आर सं01686/29.5. 2013	....	श्री रंजन कुमार
6.	1737-1745/	5750	....	5750	5750	ऍम आर सं0 1681/27.5. 2013	....	श्री अंजनी कुमार गौतम टी सी
7.	127-200/9.2.2013 से 14.5.2013	122756	....	122756	....		122756	श्री सिद्धेश्वर नारायण सिंह टी सी
8.	801 से 815/7.5. 2013 से 20.5. 2013	25579	....	25579	25579	ऍम आर सं0 1687/ 29.5. 2013	....	श्री नीलम संजीव रेड्डी टी सी
9.	5920 से 5930/2. 1.2013 से 10.01. 2013	23974	23685	289	80404	खाता सं0 142924 दिनांक 30.5.2013	142200. 00	श्री विद्यया भूषण प्रसाद सिंह टी सी
10.	5939 से 5948/01. 02.13 से27.02.13	24568	24438	130				
11	5954/4.4.2013	3850	....	3850				
12	2399/21.11.2012	1764	....	1764				
13	1089(विविध)/1. 04.13	66844	....	66844				
14	1090(विविध)/16. 04.13	19345	....	19345				
15	1091(विविध)/7. 05.13	106659	....	106659				
16	1092(विविध)/14. 05.13	23723	....	23723				
		5504431	96923	45350	157771		295737	

अतः अवशेष राशि ₹295737.00 यथाशीघ्र नगर परिषद् निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में जमा संबंधी साक्ष्य दिखाया जाय। साथ ही अंकेक्षण के दौरान जमा राशि 15771 में से 32367 (688 + 350 + 5750+ 25579) का साक्ष्य बैंक विवरणी के रूप में अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. मुख्य भवन कर

मुख्य भवन कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का अपूर्ण संधारण किया गया। मॉग एवं वसूली पंजी में केवल मांग का विवरण पाया गया वसूली का विवरण नहीं रहने के कारण रसीद से वसूल कही गयी राशि की जाँच नहीं की जा सकी। उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2012–13 की अवधि में दिनांक 31.03.2013 तक कुल ₹5593538.00 वसूली हेतु बकाया थी। विवरण निम्नवत् है–

मॉग	वसूली	बकाया	वसूली का प्रतिशत
7968399	2374861	5593538	29.80

लेखापरीक्षा टिप्पणी

नगर परिषद् मुख्य रूप से एक स्ववित्त पोषित संस्था है एवं होल्डिंग टैक्स की वसूली नगर परिषद् के आय का मुख्य स्रोत है। परन्तु, उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 की अवधि में ₹5593538.00 की बड़ी राशि वसूली हेतु बकाया थी एवं वसूली का प्रतिशत केवल 29.80% रहा।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वसूलनीय राशि की वसूली हेतु ठोस एवं गंभीर प्रयास किए जाए एवं किए गए प्रयास एवं उसके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

11. दुकानों का बकाया किराया (₹164288.00)

दुकानों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी में वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया का वर्णन नहीं है। उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार विभिन्न स्थलों पर अवस्थित दुकानदारों के यहां कुल ₹164288.00 बकाया थी।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि किराया वसूल की जा रही है।

उक्त राशि के वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाए एवं इसकी वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए साथ ही मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही ढंग से कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

12. सरकारी भवनों के विरूद्ध बकाया भवन कर (₹12.66 लाख)

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार नगर परिषद्, के अन्तर्गत सरकारी भवनों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012–13 तक कुल ₹1265687.00 बकाया थी।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाएं ताकि परिषद् निधि को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके. एवं की गई कार्रवाई एवं इसके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

13. मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0/मु0स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह, पंजीयन बिहार के पत्रांक 549/15.03.2012 के निदेशानुसार सैरातों की बन्दोबस्ती किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की वसूली कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना निदेशित था।

उपलब्ध संचिका के अवलोकन से यह पाया गया 2012–13 की अवधि में इस राशि को वसूल नहीं किया गया, विवरण निम्न प्रकार है–

क.सं.	सैरात का नाम	बन्दोबस्तीधारी का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क (₹)
1.	रेलवे गुमटी के पूरब बस पड़ाव और नदवा रोड मसौरी बस पड़ाव	श्री विजय कुमार मसौढी	691000.00	20730.00
2.	डाक बंगला रोड में बस पड़ाव	श्री संजय कुमार साकेत मसौढी	408000.00	12240.00
3.	नौबतपुर पाली मोड स्थित बस पड़ाव	श्री दीपक कुमार मसौढी	325000.00	9750.00
4.	रेलवे गुमटी से पूरब शौचालय	श्री गुरूचरण प्रसाद	46300.00	1389.00
		कुल	1470300.00	44109.00

इस संबध में जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः उपराक्त मुद्रांक शुल्क की राशि ₹44109.00 की वसूली संबंधित /जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर परिषद् निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाए तथा अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए।

14. सुरक्षित जमा राशि के गलत निर्धारण के कारण हानि ₹185000.00

बंदोबस्ती के नियम के अनुसार किसी भी बंदोबस्ती का सुरक्षित जमा पिछले तीन वर्षो के बंदोबस्ती का औसत निकालकर 10 प्रतिशत बढाकर किया जाता है परंतु यह राशि पिछले वर्ष के बंदोबस्ती राशि से कम नहीं होगा। नगर परिषद् में इस नियम का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण नगर परिषद् को ₹185000.00 की हानि हुई। जिसका विवरण इस प्रकार है:–

216

क्र0सं0	बंदोबस्ती का नाम	बंदोबस्तधारी का नाम	वर्ष 2012–13 के दौरान बंदोबस्ती की राशि	वर्ष 2011–12 के दौरान बंदोबस्ती की राशि	हानि
2	रेलवे गुमटी से पूरब बस पड़ाव और नदवा रोड मसौरी बस पड़ाव	श्री विजय कुमार मसौढी	691000.00	752000.00	61000.00
3	डाक बंगला रोड में सब्जी बाजार	श्री संजय कुमार साकेत मसौढी	408000.00	506000.00	98000.00
4	नौबतपरु पाली रोड मोड स्थित बस पड़ाव	श्री दीपक कुमार मसौढी	325000.00	351000.00	26000.00
	कुल		1424000.00	1609000.00	185000.00

उपरोक्त सैरातों की बंदोबस्ती हेतु एक दिन डाक आमंत्रित किया गया था।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः हानि की राशि ₹185000.00 संबंधित /जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर परिषद् निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाए तथा अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए।

15. कबीर अंत्येष्टि योजना

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2012–13 दौरान कुल ₹345000.00 कबीर अन्तयेष्टि योजना के अंतर्गत व्यय किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	550231	12.7.12	75000.00
2	550404	7.8.12	75000.00
3	550430	8.11.12	150000.00
4	550800	13.2.13	45000.00
	कुल		345000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक ₹345000.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

16. वैट की कम कटौती

नगर परिषद् मसौढी में वर्ष 2012–13 के दौरान वैट की निर्धारित दर 5 प्रतिशत से कम कटौती करने के कारण सभी 40 योजनाओं में कुल ₹381900.00 की कम कटौती की गई।

अतः कम कटौती की राशि ₹381900.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि राशि वसूली के लिए संवेदक को नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

1215

17. आयकर की कम कटौती

नगर परिषद् में कराये जा रहे सभी असैनिक कार्य में संवेदकों से निर्धारित दर पर आयकर कटौती किये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार सभी Individual या HUF संवेदक से 1.13 प्रतिशत और अन्य से 2.26 प्रतिशत आयकर कटौती स्रोत पर की जानी है परंतु जाँच में पाया गया कि 6 योजनाओं में कुल ₹9253.00 की कम कटौती की गई।

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट– V पर)

अतः कम कटौती की राशि ₹9253.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि राशि वसूली के लिए संवेदक को नोटिस निर्गत किया जायेगा।

18. स्ट्रीट लाइट के क्रय में अनियमितता

नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित किया। भारत इंजीनियरिंग का दर निम्न रहने के कारण इस फर्म को कार्यादेश निर्गत किया गया। भारत इंजीनियरिंग ने ₹35000.00 की दर से कुल 50 अद्द स्ट्रीट लाइट आपूर्ति किया। इसके लिए उक्त फार्म को कुल ₹1750000 भुगतान किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)
1	315938	12.4.2012	437500.00
2	327441	26.4.2012	437500.00
3	327442	28.5.2012	875000.00
		कुल	1750000.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. क्रय समिति का गठन नहीं किया गया।
2. इंसटालेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया।
3. सोलर लाइट ठीक से काम कर रहा है।इस संबंध मे किसी तकनीशियन का रिपोर्ट नहीं पाया गया।
4. क्रय किये गये सोलर लाइट का इन्द्राज भंडार पंजी मे नहीं किया गया ।.
5. सोलर लाइट ठीक से काम कर रहा है।इस संबंध मे स्थानीय नागरिक/जन प्रतिनिधि का प्रतिवेदन संचिका मे नहीं पाया गया ।
6. बिहार वैट अधिनियम 2005 के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामान आपूर्ति किये जाने की स्थिति में विपत्र से स्रोत पर वैट कटौती किये जाने का प्रावधान है। विपत्र से उसी स्थिति में नहीं की जानी है जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा परंतु आपूर्तिकर्त्ता द्वारा न तो प्रपत्र C-III ही प्रस्तुत किया गया और न ही वैट की कटौती ही की गई जिसके कारण कुल ₹208150.00 (1750000 में 13.5 प्रतिशत वैट include) की हानि हुई जो वसूलनीय है।
7. दुकान द्वारा विपत्र लैटर हेड पर दिया गया जो अनियमित है।

इस प्रकार कुल ₹208150.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए साथ ही उपरोक्त को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किये जाने तक ₹1541850.00 (1750000–208150) अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा साथ ही वैट राशि के संबंध में पत्राचार किया जायेगा।

19. जेनेरेटर का क्रय में अनियमितता

नगर परिषद् ने जेनेरेटर क्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित किया। सत्या इंटरप्राइजेज का दर निम्न रहने के कारण कार्यादेश उक्त फार्म को निर्गत किया गया। सत्या इंटरप्राइजेज को जेनेरेटर के लिए कुल ₹430000.00 भुगतान किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)
1	315939	12.4.2012	200000.00
2	327443	28.5.2012	230000.00
कुल			430000.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. क्रय समिति का गठन नहीं किया गया।

2. संबंधित भंडार पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3 बिहार वैट अधिनियम 2005 के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामान आपूर्ति किये जाने की स्थिति में विपत्र से स्रोत पर वैट कटौती किये जाने का प्रावधान है। विपत्र से उसी स्थिति में नहीं की जानी है जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा परंतु आपूर्तिकर्त्ता द्वारा न तो प्रपत्र C-III ही प्रस्तुत किया गया और न ही वैट की कटौती ही की गई जिसके कारण कुल ₹38656.38 (286343.61 का 13.5 प्रतिशत) की हानि हुई जो वसूलनीय है।

4. वारंटी प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार कुल ₹38656.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए साथ ही भविष्य में उपरोक्त का ध्यान रखा जाए। जवाब दिया गया कि संबंधित फर्म से पत्राचार किया जा रहा है।

20. षष्टम् पुनरीक्षित वेतनमान मे बकाया बेतन का अधिक भुगतान

बिहार सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को छठा वेतन का लाभ संकल्प संख्या– 342 वे0पु0 –16/09–630 दिनांक 21.01.10 के द्वारा दिया। इसके अनुसार वेतन का पुनरीक्षण 1.1.06 से आर्थिक लाभ 1.04.2007 से दिया गया।

सरकार के उप सचिव ,वित विभाग के ज्ञापांक संख्या 3ए–वे0पु0 (म0कि0भ0)–23/09–5658वि(2) दिनांक 28.5.2010 के निम्नांकित कंडिका सुलभ प्रसंग के लिए उद्धत है।

(3) दिनांक 01.04.07 से 31.12.08 तक पुनरीक्षित वेतनमान पर मात्र केन्द्र सरकार द्वारा समय– समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते की गणना कर अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। इस अवधि मे पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर किसी प्रकार के भत्ते यथा मकान किराया भत्ता के अंतर राशि का भुगतान नही किया जाएगा।

(4) 01.01.10 के बाद पुनरीक्षित वेतनमान पर पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान संबंधित स्वीकृत्यादेश के प्रभाव होने की तिथि से किया जाएगा।

नगर परिषद् मसौढ़ी की सशक्त स्थाई समिति मे दिनांक 29.10.12 को नगर परिषद कर्मियों को छठा वेंतन देने का प्रस्ताव लिया गया एवं 30.10.12 को इसे नगर परिषद की सामान्य बैठक में सम्पुष्ट किया गया।

लेखापरीक्षा में सभी स्थाई कर्मचारियों को छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिया गया बकाया वेतन 01.04.07 से 30.11.12 तक कुल 68 महीनों का बकाया वेतन की जाँच की गई।

जाँच मे पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से 1.04.07 से ही बढ़े हुए दर मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता प्राप्त किया गया है। तथा भरपाई पंजी से भुगतान विपत्र के मिलान के क्रम में पाया गया कि अनेक स्थानों पर पूर्व मे भुगतान राशि कम दर्शायी गयी है जिसके फलस्वरूप भुगतेय राशि अनियमित रूप से बढ़ गया। उक्त स्थिति को देखते हुए लेखापरीक्षा मे प्रत्येक कर्मचारी का DUE & DRAWN STATEMENT तैयार किया गया जिससे पता चला कि निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने अंकित राशि का अधिक भुगतान हुआ है जो कि वसूलनीय है।

क्र0सं0	**नाम**	**राशि (₹)**
1	श्री श्यामनन्दन सिंह	138671
2	श्री सकलदीप चौधरी	116367
3	श्री विद्याभूषण प्रसाद	75185
4	श्री चन्देश्वर चौधरी	65737
5	श्रीमती आसमा खातुन	65737
	कुल	461697

(विवरणी संलग्न)

इसके अतिरिक्त Oct-06 से May -08 DA. Arrear का भुगतान 17/07/08 को किया गया इसमे 01.04.07 से May 08 तक की राशि की गणना कर उसे भी वसूल की जाय। इस संबंध में जवाब दिया गया कि जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

21. सफाई पर व्यय

नगर परिषद ने दिनांक 26.3.2012 नगर का सम्पूर्ण सफाई कार्य वर्ष 2012–13 के लिये बन्दोबस्ती के द्वारा किये जाने का निर्णय लिया। विज्ञापन के अनुसार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30.03.2012
थी। प्राप्त निविदा के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को कार्य आवंटित किया गया।

क्रम	जोन	आवंटित व्यक्ति का नाम	निविदा राशि
i)	1	श्री शत्रुधन कुमार	255000.00
ii)	2	श्री राकेश कुमार	450000.00
iii)	3	श्री सुधीर कुमार	495000.00
iv)	4	श्री राकेश कुमार	505000.00
v)	5	पिन्टु लाल सिंह	225000.00

कार्यादेश (दिनांक 30.03.2012) के अनुसार सफाई कार्य प्रारंभ का 24 घन्टों के अन्दर नगर परिषद को सूचित करना था अन्यथा बन्दोबस्ती को रद्द किये जाने का प्रावधान था, साथ ही कार्य का भुगतान कार्यालय सफाई निरीक्षक, नगर परिषद मसौढी के द्वारा कराई गए कार्य का सत्यापन के पृश्चात ही भुगतान किया गया था।

संचिका के अनुसार जोन संख्या 1 से 5 मे सफाई कार्य प्रारम्भ करने सूचना नही दी गयी साथ ही सफाई निरिक्षक द्वारा सूचित करने पर कि सफाई कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। निविदा को रद्द का पुनः निविदा आमंत्रण करने का आदेश दिया गया। दि0 02.04.2012 को निविदा का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट्ट पर किया गया। प्राप्त निविदा के आधार पर किये गये बन्दोबस्ती का विवरण निम्न है –

क्र0सं0	**जोन**	**आवंटित व्यक्ति का नाम**	**निविदा राशि (रू0)**
i)	1	श्री अजय कुमार	551000.00
ii)	3	श्री रमेश सिंह	1300000.00
iii)	5	बाल्मीकि शर्मा	796000.00

एकरारनामा के अनुसार भुगतान का नियम निम्न है :–

क्र0सं0	**श्रेणी**	**भुगतान की स्थिति**
क)	अति उत्तम	पूर्ण भुगतान
ख)	उत्तम	पूर्ण भुगतान
ग)	संतोषजनक	5 से 10% कटौती के पश्चात
घ)	असंतोषजनक	भुगतान शून्य

जोन 5 मे 1 माह के अंदर 9 नालों का उड़ाही कार्य करना था।

संचिका के अनुसार जोन 5 मे 8 नालों का सफाई कार्य किया गया।

उपरोक्त 1 से 4 जोन तक के आवंटित व्यक्तियों ने जुन 2012 के पश्चात (सिवाय जोन 2 दिनांक 14.6. 2012) काम करने से मना कर दिया तत्पश्चात नगर परिषद ने उनका आवंटन रद्द का दिया।

नगर परिषद ने दिनांक 5.5.2012 को जोन सं0 1 2 3 और 4 के आवंटित व्यक्तियों को सूचित किया कि आपके द्वारा सफाई कार्य करवाने के उपरान्त कूड़ा–कचड़ा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(1) विज्ञापन में केवल Financial bid आमंत्रित किया गया। जबकि Technical bid आमंत्रित किये जाने की भी आवश्यकता थी। क्योंकि जो व्यक्ति निविदा डालेगे उनके पास Labour License आदि है कि नहीं।

(2) विज्ञापन में सफाई का पूर्ण विवरण नही पाया गया (यथा सफाई के पश्चात कुड़ा को क्या करना था)

1811

(3) एकारनामा के अनुसार कार्य 24 घंटे के अन्दर शुरू नही करने पर निविदा के रद्द कर देना था साथ ही सफाई निरिक्षक द्वारा यह सूचित किये जाने पर की कार्य प्रारम्भ नही हुआ है निविदा रद्द कर दी गयी। संचिका मे ऐसा कोई प्रतिवेदन नही पाया गया। साथ ही रद्द करने से पहले निविदादाताओं से कोई कारण नही पूछा गया।

(4) इससे संबंधित मापी पुस्तिका प्रस्तुत किया जाए।

(5) संचिका के अनुसार जोन 5 में नालों की जगह 8 नालों की ही सफाई किया गया।

(6) एकरारनामा की कंडिका 6 के अनुसार कार्य का गुणवता के निर्धारण के लिए सफाई निरीक्षक के अनुशंसा पर किया जायेगा जिसके आधार पर संवेदक को भुगतान किया जायेगा साथ ही कंडिका 13 के अनुसार कार्य की गुणवता (यथा अति उत्तम संतोषजनक असंतोषजनक) के अनुसार भुगतान किया जायेगा संचिका में संवेदक के द्वारा समर्पित bill नहीं पाया गया साथ ही कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया कि संवेदकों ने कोई विपत्र प्रस्तुत नही किया है। तब भुगतान किस आधार पर किया गया।

(7) संवेदको के भुगतान विपत्र से आयकर की कटौती नही की गयी आयकर की कटौती नही करने के कारण सरकार को कुल रू0 29540.00 की हानि हुई। जिसे वसूल किया जाय।

(8) विपत्र से Service Tax की कटौती नही की गयी।

उपरोक्त के संबंध मे स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को दिया जाए।

क्र0सं0	चेक सं0/दिनांक	राशि	विवरण
1	550217/26.5.12	37500	राकेश कुमार सफाई संवेदक को अप्रैल 2012 का जोन सं0 2 में भुगतान
2	550218/26.5.12	42083	राकेश कुमार सफाई संवेदक को अप्रैल 2012 का जोन सं0 4 में भुगतान
3	550219/26.5.12	35203	अजय कुमार सफाई संवेदक को अप्रैल 2012 का जोन सं0 1 में भुगतान
4	550220/26.5.12	83055	राकेश कुमार सफाई संवेदक को अप्रैल 2012 का जोन सं0 3 में भुगतान
5	550221/26.5.12	50855	बालम्किी शर्मा जोन–5 का सफाई कार्य भुगतान
6	550223/7.6.12	37500	राकेश कुमार सफाई संवेदक को मई 2012 का जोन सं0 2 में भुगतान
7	550224/7.6.12	42083	राकश कुमार सफाई संवेदक को मई 2012 का जोन सं0 4 में भुगतान
8	550225/7.6.12	45916	राकेश कुमार सफाई संवेदक को मई 2012 का जोन सं0 3 में भुगतान
9	550226/7.6.12	108333	रमेश कुमार सफाई संवेदक को मई 2012 का जोन सं0 4 में भुगतान
10	550426/5.11.12	45916	अजय कुमार सफाई जोन–1 का माह जून 2012 का भुगतान
11	550427/5.11.12	17500	अजय कुमार सफाई जोन–2 का माह जून 2012 का भुगतान
12	550428/5.11.12	108333	रमेश सिंह सफाई जोन 3 का माह जून 2012 का भुगतान
13	A 848053/6.11.12	610729	बलमिकी शर्मा सफाई जोन 5 का नाली उगाही बकाया भुगतान
14	550781/3.12.12	42083	राकेश कुमार सफाई संवेदक जोन –4 जून 2012 का भुगतान
	कुल	1307089	

1210

2. योजनाओं के विलम्ब से कियान्वयन के कारण विलम्ब शुल्क की कटौती ₹373330.00

वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 9 योजनाएं का कियान्वयन विलम्ब से हुआ इसमें से 3 पूर्ण योजना में 54 दिन से 93 दिन का विलम्ब हुआ। जबकि 6 योजना कार्य पूर्ण करने का नियत समय 07.06.2012 से 11 महीने बाद भी लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण थी। समय बढाने का कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया।

एकरारनामा की शर्तों के स्पष्ट वर्णित है कि–

Clause 2: I shall be liable to pay as compensation an amount equal to ½ percent on the said estimated cost of the whole work for every day thqt the due quanity of work remains tendor. Incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the

उपरोक्त शर्त के अनुसार अभिकर्ता से विलम्ब के कारण प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर की राषि की कटौती की जानी थी जो नहीं की गई।

एकरारनामा की शर्तों के अनुसार इन योजनाओं की प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत ₹373330.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट– VI पर)

इस संबंध में जवाब दिया गया कि संबंधित संवेदक को नोटिस दिया गया है एवं उसके अग्रधन की राशि रोक कर रखी गई है।

23. बैंक से निकासी की गयी राशि का रोकड़बही में इंद्राज नहीं

मध्य ग्रामीण बैंक खाता संख्या–73190100021592 के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित चेक द्वारा ₹20.00 लाख की निकासी की गयी थी परंतु इसका इंद्राज रोकड़बही में नहीं पाया गया।

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)	प्राप्तकर्त्ता
1	912939	20.03.13	1000000.00	श्री सकलदीप चौधरी
2	912940	23.03.13	1000000.00	श्री सकलदीप चौधरी
कुल			2000000.00	

इस आपत्ति के उत्तर में कहा गया कि यह राशि अग्रिम के रूप में सामाजिक सुरक्षाा पेंशन वितरण हेतु दिया गया है।

अतः उपरोक्त राशि के संबंध में अभिश्रव एवं रोकड़पंजी में इसका इंद्राज करते हुए आवंटन आदेश की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

24. दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर व्यय ₹1499316.00

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया कि वर्ष 2012–13 की अवधि में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर कुल ₹1499316.00 व्यय किया गया। सरकारी आदेशों के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मियो की नियुक्ति प्रतिबन्धित है।

1209

सरकार के आदेश के विरूद्ध दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति से लखापरीक्षा को अवगत कराया नहीं कराया गया।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि कार्य की अधिकता एवं कर्मी को कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का समय– समय पर रखा गया है।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियुक्ति पर किया गया व्यय अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

25. अप्रस्तुत रसीद

बार– बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बाद भी निम्नांकित एच0 रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं–

क0सं0	रसीद प्राप्तकर्ता	निर्गत की होल्डिंग रसीद सं0	रसीद निर्गत की तारीख
1	श्री जय प्रकाश कुमार	701-800	09.06.2008

इस संबंध में नगर निकाय द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

उक्त रसीद को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

26. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गये आपत्तियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में दिनांक 23.03.13 को चर्चा की गयी।

27. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – ₹125404.00
2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – ₹9050885.00
3. आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि – ₹3386166.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

1208

23. सामान्य अभियुक्तियाँ

नगर परिषद् द्वारा लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक आवश्यक अभिलेख जैसे अनुदान पंजी अनुदान विनियोग पंजी समग्र अग्रिम पंजी परिसम्पति पंजी विभिन्न करों की मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा अग्रिम के सामन्जन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाए जाए।

–हस्ता0–
(रवि कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

2-07

सं0–एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 **दिनांक–**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गये सूचनाओं / विवरणी के आधार परं तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

— ह0 —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 /14569/2175 **दिनांक–** 13.01.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

12/01/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

(परिशिष्ट ।)

(कंडिका 3 से संदर्भ)

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची

1. ~~[illegible]~~ रोकड.बही, सामान्य एवं सहायक
2. बैंक एवं कोषागार पासबुक,
3. रोकड.पाल रोकड.बही,,
4. विविध रसीद,
5. रसीद बहियों की भण्डार पंजी,
6. दैनिक संग्रह पंजी,
7. योजना पंजी,
8. योजना अभिलेख, आंशिक
9. अभिश्रव, आंशिक
10. ~~[illegible] संचिका~~,
11. ~~अग्रिम पंजी~~

(परिशिष्ट ।।)

वैसे अभिलेख जो असंधाति थे या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये

1. अनुदान पंजी,
2. ऋण पंजी,
3. पी. एफ. लेखा,
4. मॉग एवं वसूली पंजी,
5. बजट पंजी,
6. परिसम्पत्ति पंजी,
7. वार्षिक लेखा,
8. वाहनों का लौग बुक,
9. सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति संचिका,
10. स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर,
11. वेतन निर्धारण पंजी,
12. जमा पंजी,
13. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल,
14. अग्रिम पंजी
15. मोबाइल टावर की संचिका

[signature]

2-05

परिशिष्ट — III

(प्रतिवेदन के कंडिका 8 के संदर्भ में)
प्राप्त अनुदान की विवरणी

क्रम सं	रोकड बही के अनुसार प्राप्ति की तिथि	पत्रांक /चेक सं. और दिनांक	राशि	प्रयोजन
1.	15.5.2012	....	39000.00	कबीर अंत्येष्टि. योजना
2.	.22.6.2012	1313/2.6.2012	663000.00	कबीर अंत्येष्टि. योजना
3.	11.11.2012	103.4.2012	1389000.00	तेरहवीं वित आयोग
4.	.22.112012	....	2267000.00	तेरहवीं वित आयोग
5.	22.11.2012	....	722000..00	तेरहवीं वित आयोग
6.	23.11.2012	....	728200.00	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
7.	.28.112012	....	5000.00	शिक्षक नियोजन हेतु
8.	.9.12.2012	.4/29.5.2012	1545000.00	अनुसूचित जातियों के परिवहन हेतु
9.	.9.12.2012	8/18.6.2012	3000000.00	पी. सी सी सड़क नाली हेतु
10.	.28.11.2012	144/5.12.2012	842089.00	बी आर जी फ
11.	.28.11.2012	....	7500000.00	स्वर्ण जयंती सहरी रोजगार यो
12.	4.1.2013	42/14.9.2012	240000.00	नगर प्रबंधक का वेतन
13.	4.1.2013	144/28.9.2012	128400.00	मासिक बैठक भत्ता, यात्रा भाता
14.	2.2.2013	26/4.1.2013	130500.00	प्रमोनको के मानदेय हेतु
15.	2.2.2013	29/4.1.2013	25000.00	आर्थिक जनगणना (आकस्मिक कार्य हेतु)
16	9.3.2013	592/4.3.2013	1000000.00	सामाजिक सुरक्षा
17	19.3.2013	711/18.3.2013	1000000.00	सामाजिक सुरक्षा
18	22.32013	141/12.12.2012	65806.00	आर्थिक जनगणना (लिपिकीय कार्य हेतु
19	22.32013	67/4.3.2013	4954658.00	चुतर्थ राज्य वित् योजना
20	22.32013	....	2123423	चुतर्थ राज्य वित् योजना
21	22.32013	....	3296919.00	चुतर्थ राज्य वित् योजना
22	22.32013	....	5000000.00	चुतर्थ राज्य वित् योजना
23	22.32013	118/14.3.2013	11100000.00	नागरिक सुविधा
24	कुल		47764995.00	

Ravi ...